

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव  
(पीठारीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)  
राजस्व वाद संख्या 135/2023 अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. दौलेखान पुत्र समद 2. लूणेखान पुत्र समद 3. रमदानखान पुत्र समद 4. जमालखान पुत्र समद 5. खण्डू पत्नी समद जाति मुसलमान, निवासी रणकदेव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. अमराखान पुत्र मिसरी 2. अब्दुलखान पुत्र मिसरी 3. इस्माईलखान पुत्र मिसरी 4. सुमाराखान पुत्र मिसरी 5. मिरजो पत्नी मिसरी 6. खानूखान पुत्र जेतमाल 7. पठानखान पुत्र जेतमाल 8. मेहबूबखान पुत्र जेतमाल 9. सदीक पुत्र भाईखान 10. मखणी पत्नी भाईखान 11. रमदान पुत्र कायम 12. रहीम पुत्र कायम 13. हनीफो पत्नी जेतमाल – फौत जाति मुसलमान, निवासी रणकदेव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 14. शाखा प्रबंधक, राज. मरूधरा ग्रामीण बैंक भीयाड़ 15. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :- अधिवक्ता वादीगण – श्री बृजमोहन कुमावत।



—:: निर्णय ::—

दिनांक : 11.06.2025  
वादीगण/अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल धारवीकला के ग्राम सुटड़गढ के खेत खसरा नम्बर 111, 121, 123 रकबा क्रमशः 17.6847, 0.0081, 10.1981 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	जमालखान 1/5 दोलेखान 1/5 रमदानखान 1/5 लूणेखान 1/5 पि. समद, खण्डू पत्नी समद 1/5 कौम मुसलमान सा. देह खातेदार रहन खण्डू व दोलेखान का हिस्सा आरएमजीबी शाखा भीयाड़	सुटड़गढ	121	0.0081	गै.मु. ढाणी	—	हरा
			123	2.5333	बा. चा.	0.47	
			111	4.4212	बा. चा.	0.82	
			3	6.9626	—	1.29	
2	अमराखान 1/45 अब्दुलखान 1/45 इस्माइलखान 1/45 सुमरा 1/45 पि. मिश्रीखान, मिरजो पत्नी मिश्रीखान 1/45 पठानखान 1/12 खानूखान 1/12 मेहबूबखान 1/12 पि. जेतमाल, हनीफो पत्नी जेतमाल 1/12, सदीक पुत्र भाईखान 1/6 मखणी पत्नी भाईखान 1/6 रमदान 1/9 रहीम 1/9 पि. कायम कौम मुसलमान सा. देह खातेदार रहन खानूखान पठानखान मेहबूबखान का हिस्सा आरएमजीबी शाखा भीयाड़	सुटड़गढ	123	5.0830	बा. चा.	0.94	पीला
			123	2.5414	बा. चा.	2.46	
			111	13.2635	बा. चा.	—	
			3	20.8879	—	3.87	

सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)

अब्दुलखान 1/60 अमराखान 1/60 इस्माइलखान 1/60 सुमरा 1/60 पि. मिश्रीखान मिरजो पत्नी मिश्रीखान 1/60 पठानखान 1/16 खानुखान 1/16 मेहबूबखान 1/16 पि. जेतमाल हनीफो पत्नी जेतमाल 1/16 सदीक पुत्र भाईखान 1/8 मखणी पत्नी भाईखान 1/8 रमदान 1/12 रहीम 1/12 पि. कायम जमालखान 1/20 दोलेखान 1/20 रमदानखान 1/20 लूणखान 1/20 पि. समद खण्डू 1/20 पत्नी समद कौम मुसलमान सा. देह खातेदार रहन खण्डू दोलेखान खानूखान पठानखान मेहबूबखान का हिरसा आरएमजीबी शाखा भीयाड	सुटङ्गढ	123	0.0404	वा. चा.	0.03	लाल
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----	--------	---------	------	-----

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।



निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर  
(SDO) शिव  
शिव (वाड़मेर)

सहायक कलेक्टर  
(SDO) शिव  
शिव (वाड़मेर)